IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and Technology (IJARETY)

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INNO SPACE SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi cross ref

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 10, Issue 5, September 2023 ||

ग्रामोद्योगो की रोजगार सृजन में ग्रामीण क्षेत्र में उपादेयता

Dhanwanti Bishnoi

Associate Professor, Dept. of GPEM, Govt. M.S. College for Women, Bikaner, Rajasthan, India

सार

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

18 वर्ष या अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति। स्व सहायता समूह/सोसायटी एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था अथवा चैरिटेबल ट्रस्ट जिन्होने पूर्व में किसी शासकीय योजना में अनुदान का लाभ नही लिया है। विशेष:- निर्माण क्षेत्र में रू. 10 लाख से अधिक परियोजना लागत तथा सेवा क्षेत्र में रूपये 5 लाख से अधिक की परियोजना लागत के प्रकरण में हितग्राही का न्यूनतम 8 वी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मार्जिन मनी अनुदान राशि:- शहरी क्षेत्र में - सामान्य वर्ग - 15 प्रतिशत । अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/भूतपूर्वसैनिक/विकलांग/महिला - 25 प्रतिशत । ग्रामीण क्षेत्र में - सामान्य वर्ग - 25 प्रतिशत । अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/भूतपूर्वसैनिक/विकलांग/महिला - 35 प्रतिशत ।

परिचय

रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं। सरकार की रोज़गार सृजन योजनाओं/रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण उनकी वेबसाइट के विवरण के साथ नीचे दिया गया है:

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम का नाम	मंत्रालय	टिप्पणी
1	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)	श्रम और रोजगार मंत्रालय	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के साथ-साथ नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में 1 stअक्टूबर, 2020 से लॉन्च किया गया था। योजना की वेबसाइट लिंक है https://labour.gov.in/aatmanirbhar-bharat-rojgar-yojana-abry
2	प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)	श्रम और रोजगार मंत्रालय	नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1.4.2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) शुरू की गई थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 साल तक यानी 31 मार्च, 2022 तक लाभ मिलता रहेगा।
3	राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना	श्रम और रोजगार मंत्रालय	नौकरी मिलान, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि जैसी विभिन्न प्रकार की कैरियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए परियोजना। इस परियोजना में तीन महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं - (i) एनसीएस द्वार (www.ncs.gov.in (ii) मॉडल कैरियर केंद्र; और (iii) रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ना। वेबसाइट हैhttps://www.ncs.gov.in
4	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (इंजीरेगा)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। योजना की वेबसाइट लिंक हैhttps://nrega.nic.in/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx
5	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (प्रांगण)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (जीकेआरए) एक 125-दिवसीय अभियान है जिसे माननीय प्रधान मंत्री ने 20 जून, 2020 को शुरू किया था, जिसका मिशन एक बहु-कार्यक्रम के माध्यम से वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों और इसी तरह कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण

			आबादी के मुद्दों को संबोधित करना था। तत्काल रोजगार उपलब्ध कराने की आयामी रणनीति संकटग्रस्त लोगों के लिए आजीविका के अवसर, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ गांवों को संतृप्त करना और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में 25 कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके रुपये के संसाधन लिफाफे का निर्माण करना। 50,000 करोड़.
6	आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएएम)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। विश्व बैंक द्वारा निवेश सहायता के माध्यम से आंशिक रूप से सहायता प्राप्त, मिशन का उद्देश्य कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच बनाना है ग्रामीण गरीबों को स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाना। मिशन के लिए वेबसाइट लिंक है https://nrlm.gov.in/outerReportAction.do?methodName=showIndex#gsc.tab=0
7	पंडित दीम दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-गीकी)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) सितंबर, 2014 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। इस योजना के तहत 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को शामिल किया गया है। . एनआरएलएम का उप घटक जो ग्रामीण गरीबों के लिए प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास योजना है। योजना की वेबसाइट लिंक हैhttp://ddugky.info/
8	ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	आरएसईटीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो उद्यमिता विकास की दिशा में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में समर्पित बुनियादी ढांचे के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की एक पहल है। आरएसईटीआई का प्रबंधन भारत सरकार और राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से बैंकों द्वारा किया जाता है। विवरण वेबसाइट पर है:http://nirdpr.org.in/rseti/index.aspx
9	पीएम-स्वनिधि योजना	आवास एवं आवास मंत्रालय शहरी मामले	प्रधान मंत्री स्ट्रीट वंदूर के अट्टम द्यापाननिधि (पीएएम स्वनिधि) सचेम सीन्स जून 1, 2020 संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग करने वाले स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए ऋण, जो कि COVID-19 प्रेरित लॉक-डाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे। योजना का विवरण वेबसाइट पर है:https://pmsvanidhi.mohua.gov.in
10	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डॉवाई-न्यूलम)	आवास एवं आवास मंत्रालय शहरी मामले	शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के लिए मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार होगा। मिशन का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना होगा। योजना की वेबसाइट है https://nulm.gov.in[1,2,3]
11	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	सूक्ष्म, लघु एवं लघु मंत्रालय मध्यम उद्यम	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), जो एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोज़गार के अवसर पैदा करना है। विवरण वेबसाइट से देखा जा सकता है:https://msme.gov.in/1-prime-ministers-employment-generation-programme-pmegp
12	प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पम्मी)	वित्त मंत्रित्व	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई एक योजना है। इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं। उधारकर्ता ऊपर उल्लिखित किसी भी ऋण देने वाले संस्थान से संपर्क कर सकता है या इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता हैwww.udyamimitra.in पीएमएमवाई के तत्वावधान में, मुद्रा ने लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/उद्यमी की वृद्धि/विकास के चरण और वित्त पोषण आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' नाम से तीन उत्पाद बनाए हैं और अगले के लिए एक संदर्भ बिंदु भी प्रदान किया है। स्नातक/विकास का चरण। The website for the scheme is https://www.mudra.org.in
13	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पंकवी)	कौशल विकास और उद्यमिता	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में

		मंत्रालय	सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। योजना का विवरण वेबसाइट पर है:https://www.pmkvyofficial.org/home-page
14	राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	वित्तीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी और वकालत सहायता प्रदान करके देश में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) शुरू की गई थी। इस योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं, अर्थात। (i) निर्धारित वजीफे का 25% साझा करना, अधिकतम रु. नियोक्ताओं के साथ प्रति प्रशिक्षु 1500/- प्रति माह और (ii) बुनियादी प्रशिक्षण लागत को अधिकतम रु. तक साझा करना। 7,500 प्रति प्रशिक्षु। योजना का विवरण वेबसाइट पर है:https://msde.gov.in/en/schemes-initiatives/apprenticeship-training/naps योजना के अन्य विवरण वेबसाइट पर भी हैं: https://www.apprenticeshipindia.gov.in
15	उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	13 मंत्रालय	माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय विनिर्माण चैंपियन बनाने और 60 लाख नई नौकरियाँ पैदा करने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की है, और एक अतिरिक्त अगले 5 वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ का उत्पादन। योजना का विवरण वेबसाइट पर है:https://www.investindia.gov.in/production-linked-incentives-schemes-india
16	पीएम गतिशक्ति - मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान	वर्तमान में 21 मंत्रालय/विभाग शामिल हैं	विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) लॉन्च किया गया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 21 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण 7 इंजनों द्वारा संचालित है, अर्थात् रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और रसद अवसंरचना। विवरण वेबसाइट पर है:https://dpiit.gov.in/logistics-division

विचार-विमर्श

मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना
उ० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की व्यक्तिगत उद्यमियों को व्यवसायिक बैकों एवं क्षेत्रीय गामीण बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित कराने हेतु मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' संचालित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को रू0 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैकों के माध्यम से दिलाया जाना है। परियोजना की कुल लागत का सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग व महिलाओं को 5 प्रतिशत स्वयं का अंश दान लगाना होगा। बैंक द्वारा स्वीकृत एवं वितरित परियोजना में टर्मलीन पर सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदक को 4 प्रतिशत तक स्वयं ब्याज वहन करना होगा। इससे ऊपर शासन द्वारा ब्याज देय होगा एवं अन्य सभी आरक्षित वर्ग को टर्मलोन पर ब्याज मुक्त ऋण सफलता पूर्वक उद्योग संचालन पर बैंक के माध्यम से 5 वर्ष तक शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।[4,5,6]

पात्रता की शर्तें:
★योजनान्तर्गत साक्षर होना अनिवार्य है।
★ योजनान्तर्गत मुख्य रूप से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों, परम्परागत कारीगरों स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं एवं सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत इच्छुक उद्यमी आदि पात्र होगे।
★ लाभार्थियों का चयन विभाग/ शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा समय-समय पर किया जाता है, चयनित उद्यमी योजना में ऋण हेतु पात्र होंगे और उनके पास स्वयं का अंशदान उपलब्ध हो तथा वह मूल रूप से ग्राम का निवासी हो, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्योग लगाना चाहता हो।
★ लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
★ अधिकतम ऋण सीमा 10:00 लाख तक के बैंक ऋण पर ब्याज उपादान देय होगा। सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी (अनु० जाति, अनु0 जनजाति / महिला / विकलांग/अन्य पिछड़ा वर्ग / भू.पू. सैनिक आदि) को केवल 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करते हुए ऋण खाते में जमा करना होगा।
★ इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा समय समय पर चिन्हित एवं सेवा गतिविधियों का सम्बंधित नाबार्ड द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप ग्रामोद्योग इकाइयों के प्रोजेक्ट ही स्थापित कराये जायेंगे जो अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक की लागत के होंगे।

चयन की प्रक्रिया- ऐसे लाभार्थी जो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की पात्रता व शर्तें पूर्ण करते हैं उन्हें प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की भाँति ही ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार स्क्रूटनी करते हुए स्कोर कार्ड में पूर्णांक 100 में से 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा बैंक को अग्रसारित किये जायेंगे।

आवेदन की प्रक्रिया : वेबसाइट http://cmegp.data-center.co.in पर जाकर फोटो एवं आधार कार्ड, 8 जाति प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।[7,8,9]

परिणाम

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

संबंधित योजना	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
विवरण	यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऐसे मामलों में केवीआईसी लाभार्थियों/उद्यमियों को सीधे उनके बैंक खातों में वितरण के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी प्रदान करता है।
सहायता की प्रकृति	विनिर्माण क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत ₹ 25 लाख है और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में यह ₹ 10 लाख है। लाभार्थी की श्रेणियाँ पीएमईजीपी के तहत सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का) क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान) सामान्य श्रेणी 15% (शहरी), 25% (ग्रामीण), विशेष 25% (शहरी), 35% (ग्रामीण) (एससी सहित) / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक / महिलाएं, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र, आदि) कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी।
कौन आवेदन कर सकता है?	कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक आयु का। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रु. पीएमईजीपी के तहत मंजूरी के लिए केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित लोगों सहित, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं उठाया हो), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान; उत्पादन सहकारी समितियाँ और धर्मार्थ ट्रस्ट भी पात्र हैं। मौजूदा इकाइयाँ (पीएमआरवाई, आरईजीपी या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और वे इकाइयाँ जो पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।
आवेदन कैसे करें?	केवीआईसी के राज्य/संभागीय निदेशक, केवीआईबी और संबंधित राज्यों के उद्योग निदेशक (डीआईसी के लिए) के परामर्श से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विज्ञापन देंगे, जिसमें उद्यम स्थापित करने/सेवा इकाइयां शुरू करने के इच्छुक संभावित लाभार्थियों से परियोजना प्रस्तावों के साथ आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पीएमईजीपी के तहत. लाभार्थी अपना आवेदन https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अन्य आवश्यक के साथ संबंधित कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। दस्तावेज़.

किससे संपर्क करें	राज्य निदेशक, केवीआईसी का पता http://www.kviconline.gov.in पर उपलब्ध है । सीईओ (पीएमईजीपी), केवीआईसी, मुंबई फोन: 022-26711017 ईमेल: ykbaramatikar[dot]kvic[at]gov[dot]in
संशोधित दिशानिर्देश डाउनलोड योजना दिशानिर्देश (अंग्रेजी)	
संशोधित दिशानिर्देश डाउनलोड योजना दिशानिर्देश (हिन्दी)	
दूसरे फिन के लिए दिशानिर्देश। मौजूदा सफल पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के विस्तार के लिए पीएमईजीपी के तहत सहायता (अंग्रेजी) (हिंदी)[10,11,12]	

1.2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटी एसएमई)

संबंधित योजना	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटी एसएमई)
विवरण	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को लागू करने के लिए संयुक्त रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। सीजीटीएमएसई के कोष में भारत सरकार और सिडबी द्वारा योगदान दिया जाता है। बैंक को ऋण राशि का 75% ट्रस्ट फंड द्वारा गारंटी दी जाती है।
सहायता की प्रकृति	एमएसई द्वारा बैंक को गारंटी शुल्क के भुगतान पर व्यक्तिगत एमएसई के लिए ₹ 100 लाख की सीमा तक संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध है।
कौन आवेदन कर सकता है?	मौजूदा और नए दोनों उद्यम इस योजना के तहत पात्र हैं।
आवेदन कैसे करें?	पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का चयन कर सकते हैं जो योजना के तहत पात्र हैं। वेब लिंक www.dcmsme.gov.in हैं
किससे संपर्क करें	1) सीईओ, सीजीटी एसएमई फोन: 022-61437805 ईमेल: प्रदीपम[at]cgtmse[dot]in 2) जेडीसी, कार्यालय डीसी, एमएसएमई फोन: 011-23061726 ईमेल: दीपक[डॉट]राव[एट]nic[dot]]में
योजना दिशानिर्देश डाउनलोड करें	

1.3. ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी)

संबंधित योजना	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी)
विवरण	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) योजना खादी संस्थानों द्वारा शुरू किए गए खादी कार्यक्रम के वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इसे वास्तविक निधि आवश्यकताओं और बजटीय स्रोतों से धन की उपलब्धता के बीच अंतर को भरने के लिए बैंकिंग संस्थानों से धन जुटाने के लिए पेश किया गया था।
सहायता की प्रकृति	आईएसईसी योजना के तहत संस्थानों की आवश्यकता के अनुसार कार्यशील पूंजी के लिए 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वास्तविक उधार दर और 4% के बीच के अंतर का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा KVIC के माध्यम से ऋण देने वाले बैंकों को किया जाता है।
कौन आवेदन कर सकता है?	खादी संस्थान, जिनके पास वैध खादी प्रमाणपत्र और स्वीकृत खादी कार्यक्रम है। केवीआईसी/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) के साथ पंजीकृत संस्थान आईएसईसी योजना के तहत वित्तपोषण का लाभ उठा सकते हैं, यह योजना केवल खादी और पॉलीवस्त्र क्षेत्र का समर्थन करती है।
आवेदन कैसे करें?	खादी संस्थाएं केवीआईसी द्वारा जारी आईएसईसी प्रमाण पत्र के साथ कार्यशील पूंजी के लिए वित्तपोषण बैंक में आवेदन करेंगी। स्वीकृत कार्यशील पूंजी के आधार पर, वित्तपोषण करने वाला बैंक 4% से अधिक की अंतर ब्याज दर के लिए नोडल शाखा में प्रतिपूर्ति का दावा करेगा।
किससे संपर्क करें	उप. सीईओ, केवीआईसी फोन: 022-26710021 ईमेल: kvicecr[at]gmail[dot]com

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत सरकार का सब्सिडी युक्त कार्यक्रम है। यह दो योजनाओं- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया है। इस योजना का उद्घाटन 15 अगस्त, 2008 को किया गया।

उद्देश्य

- नए स्वरोजगार उद्यम/परियोजनाएं/लघु उद्यम की स्थापना के जरिए देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में ही रोजगार के अवसर पैदा करना,
- बड़े पैमाने पर अवसाद ग्रस्त पारम्परिक दस्तकारों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को साथ लाना और जितना संभव हो सके, उनके लिए उसी स्थान पर स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराना,
- देश में बड़े पैमाने पर पारम्परिक और संभावित दस्तकारों और ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और सतत रोजगार उपलब्ध कराना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जाने से रोका जा सके

- दस्तकारों की रोजाना आमदनी क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण व शहरी रोजगार दर बढ़ाने में में योगदान देना।

नोट:

- विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीपकार्य राशि 25 लाख रुपये है,

- व्यिवसाय/सेवा क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीाकार्य राशि 10 लाख रुपये है,
- कुल परियोजना लागत की बची हुई राशि बैंक द्वारा लोन के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी।[13,14,15]

लाभार्थी की योग्यता के मानक

- 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति
- पीएमईजीपी के तहत परियोजना की स्थापना में सहायता के लिए कोई भी राशि नहीं होगी,
- विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजना और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए शैक्षणिक योग्यता के तौर पर लाभार्थी को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए,
- पीएमईजीपी के अंतर्गत योजना के तहत सहायता केवल विशिष्ट नई स्वीकार्य परियोजना के लिए ही उपलब्ध है,
- स्वयं सेवी समूह (बीपीएल समेत जिन्होंने अन्य किसी योजना के तहत लाभ न लिया हो) भी पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता के लिए योग्य हैं,
- सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान,
- उत्पादक कोऑपरेटिव सोसायटी और
- चैरिटेबल ट्रस्ट
- मौजूदा इकाई (पीएमआरवाई, आरईजीपी के अंतर्गत या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अंतर्गत) और पहले से ही केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी सरकारी योजना के तहत सब्सिडी ले चुकीं इकाइयां इसके योग्य नहीं हैं।

अन्य योग्यताएं

- लाभार्थी द्वारा जाति/समुदाय की एक प्रमाणित कॉपी या अन्य विशेष श्रेणी के मामले में सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया दस्तावेज सब्सिडी पर दावे के साथ बैंक की सम्बन्धित शाखा को प्रस्तुत किया जाना जरूरी है,

- जहां जरूरी हो, वहां संस्थान के बाई-लॉज की एक प्रमाणित कॉपी सब्सिडी पर दावे के लिए संलग्न करनी होगी,
- योजना के अंतर्गत परियोजना लागत, वित्त के लिए पूंजी व्यय के बिना कार्यशील पूंजी परियोजना की एक साइकिल और पूंजी व्यय शामिल करेगी। 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत जिन्हें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय या बैंक शाखा के नियंत्रक से मंजूरी प्राप्त करना जरूरी है और दावे के लिए मामले के अनुसार नियंत्रक या क्षेत्रीय कार्यालय से स्वीकृत प्रति जमा करनी होगी,
- परियोजना लागत में भूमि के मूल्य को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। परियोजना लागत में तैयार भवन या दीर्घकालीन पट्टे या किराये की वर्कशेड/वर्कशॉप की लागत शामिल की जा सकती है। इसमें शर्त यह होगी कि यह लागत बने-बनाये और लंबी अवधि के पट्टे या किराये की वर्कशेड/वर्कशॉप के लिए लागू होगा जो अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगा,
- पीएमईजीपी ग्रामीण उद्योग की काली सूची को छोड़कर सभी ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं समेत नए संभावित लघु उद्यम पर लागू है। मौजूदा/पुरानी इकाइयां योग्य नहीं हैं।

नोट:

- संस्थान/उत्पादक कोऑपरेटिव सोसायटी/ट्रस्ट जो कि खासकर अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाएं/विकलांग/पूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक संस्थानों के तौर पर पंजीकृत हैं, विशेष श्रेणी के लिए सब्सिडी के लिए आवश्यक प्रावधानों के साथ बाई-लॉज में योग्य हैं। हालांकि संस्थानों/उत्पादक कोऑपरेटिव सोसायटी/ट्रस्ट जो विशेष श्रेणी से सम्बन्धित नहीं हैं, सामान्य श्रेणी के लिए सब्सिडी के लिए योग्य नहीं होंगे।
- पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही योग्य होगा। परिवार में वह और उसकी पत्नी शामिल होंगे।[16,17,18]

क्रियान्वयन अभिकरण

योजना, राष्ट्रीय स्तर पर एकल केंद्रीय अभिकरण, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा बनाई गई एक स्वायत्त संस्था खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), मुम्बई द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। राज्य स्तर पर योजना केवीआईसी के राज्य निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्रों के जरिए क्रियान्वित की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में योजना केवल राज्य जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) द्वारा ही क्रियान्वित की जाएगी।

पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रस्तावित अनुमानित लक्ष्य

चार वर्षों (2008-09 से 2011-12) के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रस्तावित निम्न अनुमानित लक्ष्य हैं-

वर्ष	रोजगार (संख्या में)	मार्जिन राशि (सब्सिडी) (करोड़ में)
2008- 2009	616667	740.00
2009- 2010	740000	888.00
2010- 2011	962000	1154.40
2011- 2012	1418833	1702.60
योग	3737500	

नोट:

- 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान पिछले और आगे के कामों के लिए किया गया है,
- केवीआईसी और राजकीय डीआईसी के बीच इन लक्ष्यों को 60 और 40 के अनुपात में वितरित किया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्यमों पर विशेष जोर दिया जा सकेगा। मार्जिन राशि भी इसी अनुपात में आवंटित की जाएगी। डीआईसी यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम आधी राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए,
- क्रियान्वयन एजेंसियों को राज्यवार सालाना लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवंटन किया जाएगा।

गतिविधियों की काली सूची
लघु उद्यम/परियोजना/इकाई के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत निम्न गतिविधियां स्वीकृत नहीं होंगी।
(क) मांस से सम्बन्धित कोई भी उद्योग/व्यवसाय जिसमें प्रसंस्करण, डिब्बाबंद और/या भोजन के रूप में परोसे जाने वाले व्यंजन, सृजन/विनिर्माण या बीड़ी/पान/सिगार/सिगरेट आदि जैसे नशे के पदार्थ की बिक्री, कोई होटल या ढाबा या शराब परोसने की दुकान, कच्ची सामग्री के तौर पर तंबाकू की तैयारी/सृजन, ताड़ी की बिक्री,
(ख) फसल उगाने/पौधारोपण जैसे चाय, कॉफी रबर आदि, रेशम की खेती, बागबानी, फूलों की खेती, पशुपालन जैसे सुअर पालन, मुर्गीपालन, कटाई मशीन आदि से सम्बन्धित कोई भी उद्योग/व्यवसाय,
(ग) 20 माइक्रॉन की मोटाई से कम के पॉलीथिन के लाने ले जाने वाले थैलों का विनिर्माण या संग्रहण के लिए, लाने ले जाने के लिए, आपूर्ति या खाने के सामान की पैकिंग के लिए या अन्य कोई भी सामान जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बने, जैसे रिसाइकिल की हुई प्लास्टिक से बने कंटेनर,
(घ) पश्मीना ऊन के प्रसंस्करण जैसे उद्योग और हथकरघा और बुनाई वाले अन्य उत्पाद, जिसका प्रमाणन नियमों के तहत खादी कार्यक्रम के अंतर्गत फायदा उठाया जा सकता है और बिक्री में रियायत प्राप्त की जा सकती है।
(च) ग्रामीण परिवहन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ऑटो रिक्शा, जम्मू-कश्मीर में हाउस बोट, शिकारा और पर्यटक बोट और साइकिल रिक्शा छोड़कर)।[19,20]

संदर्भ

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , नई दिल्ली, एनसीएईआर, 2009 के प्रदर्शन के मूल्यांकन पर एनसीएईआर-पीआईएफ अध्ययन
2. ^ पलियाथ, श्रीहरि (7 मई 2018)। "कैसे कुदुम्बश्री ने केरल में महिलाओं के जीवन में बदलाव के लिए मनरेगा के लिए मार्ग प्रशस्त किया" । बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया । 10 अप्रैल 2022 को पुनःप्राप्त .
3. ^ केरल में एनआरईजीएस का प्रभाव आकलन सिस्टम और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन जोस चथुकुलम और गिरीसन द्वारा , ग्रामीण प्रबंधन केंद्र (सीआरएम), कोट्टायम, अप्रैल 2008
4. statistics Archived 2005-02-08 at the वेबैक मशीन KVIC official website.
5. ↑ [1] Archived 2005-02-04 at the वेबैक मशीन KVIC contact list.
6. ↑ http://www.ari.nic.in/RevisedKVICACT2006.pdf Archived 2009-04-10 at the वेबैक मशीन - Chapter 2, Functions of the Commission, Page 7

7. ↑ संसद अधिनियम (1956 की नंबर 61, के रूप में कोई द्वारा संशोधन अधिनियम 1987 के अधिनियम 2006 और No.10 के 12..
8. ↑ "गांधी". मूल से 6 जुलाई 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 अप्रैल 2011.
9. ↑ "अध्याय 1, पृष्ठ 1" (PDF). मूल (PDF) से 10 अप्रैल 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 अप्रैल 2011.
10. ↑ अवलोकन Archived 2005-03-05 at the वेबैक मशीन केवीआईसी वेबसाइट
11. ↑ - बजटीय सहायता के लिए केवीआईसी, पृष्ठ 6 Archived 2011-07-21 at the वेबैक मशीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय.
12. ↑ पेज - 65 Archived 2011-07-21 at the वेबैक मशीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय
13. ↑ पेज - 66 Archived 2011-07-21 at the वेबैक मशीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय
14. ↑ हमारे बारे में - दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड Archived 2009-07-25 at the वेबैक मशीन दिल्ली सरकार.
15. ↑ - पेज 67 Archived 2011-07-21 at the वेबैक मशीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय
16. ↑ पीएमईजीपी (PMEGP) योजना Archived 2009-08-06 at the वेबैक मशीन केवीआईसी के सभी आंकड़े.
17. ↑ "- पेज 70" (PDF). मूल (PDF) से 21 जुलाई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 अप्रैल 2011.
18. ↑ - पेज 71 Archived 2011-07-21 at the वेबैक मशीन के सभी आकड़े
19. ↑ एमएसएमई मिनिस्ट्री आस्क्ड टू रिड्रॉ रिबेट स्कीम द इंडियन एक्सप्रेस।
20. ↑ प्रधानमन्त्री मोदी की अपील का बड़ा असर, एक लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा खादी का कारोबार

IJARETY

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi crossref

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Education and Technology

ISSN: 2394-2975

www.ijarety.in editor.ijarety@gmail.com